न्यायालय : अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दूदू, जिला–जयपुर

....

पीठासीन अधिकारी	::	प्रीति चौधरी (आर०जे०एस०)
मूल दाण्डिक प्रकरण संख्या	::	2320 / 2015
एन.सी.वी. नम्बर	::	5543 / 2015
सीएनआर नम्बर	::	RJJD10-001301-2015

राजस्थान राज्य

बनाम

1. **हरकरण पुत्र श्री बालूराम,** उम्र 62 साल,
2. **भागचन्द पुत्र श्री भैरू,** उम्र 30 साल,
3. **बजरंग पुत्र श्री हीरा,** उम्र 56 साल,
4. **हनुमान पुत्र श्री हरजीराम,** उम्र 55 साल,

समस्त निवासी रहलाना, थाना दूदू, जिला जयपुर, राजस्थान।

—अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति :—

01. विद्वान अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।
02. श्री भैरूलाल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक : 13 अप्रैल, 2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी नन्दा द्वारा दिनांक 01.07.2015 को उपस्थित थाना दूदू होकर एक टाइपशुदा तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि प्रार्थी की खातेदारी की जमीन ग्राम रहलाना में है, जिसमें दिनांक 01. 07.2015 को करीब 12 बजे फसल बुआने के लिये ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, जैसे ही खेत में पहुंचा तो अप्रार्थीगण बजरंग पुत्र हीरा, हनुमान पुत्र हरजी, शैतान पुत्र हरजी, हरकरण पुत्र बालू, हजारी पुत्र बालू, भैरू पुत्र सवाई, भागचन्द पुत्र भैरू, रामजीलाल पुत्र भैरू, रामेश्वर पुत्र भैरू, जयराम पुत्र हीरा निवासी रहलाना एक राय होकर सुवा पुत्र हजारी गुर्जर निवासी गागरडू का ट्रैक्टर लेकर प्रार्थी के आडे फिर गये तथा ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने की कोशिश की तथा लकड़ियों, कुल्हाड़ियों, कस्सी आदि से लेस होकर मारपीट की जिससे प्रार्थी के पैर में चोट आयी जिससे खून बह रहा है, मुंह में दांत तोड़ दिये, मुंह से खून बह रहा है, शरीर पर जगह—जगह चोटें आयी हैं। प्रार्थी बेहोश होकर गिर गया जिससे अप्रार्थीगण मरा हुआ समझकर वहां से भाग गये। प्रार्थी के परिवार के सदस्यों को गांव में पता लगने पर खेत पर

गये तो वहां पर प्रार्थी बेहोश होकर पड़ा हुआ था, जिसे प्रार्थी की पत्नी ने गांव के व्यक्तियों को बुलाकर गाड़ी मंगाकर दूदू लेकर आये हैं....इत्यादि।

2. उक्त पर पुलिस थाना दूदू द्वारा अभियोग संख्या 215/2015 अंतर्गत धारा 143, 447, 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर, बाद अनुसंधान अभियुक्तगण हरकरण, भागचन्द, बजरंग व हनुमान के विरुद्ध धारा 341, 323, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 09.09.2015 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 20.01.2016 को अभियुक्तगण हरकरण, भागचन्द, बजरंग व हनुमान को धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए एवं समझाए गए जिस पर अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में गवाहान् **पी॰डब्ल्यू॰–1** बिरदाराम, **पी॰डब्ल्यू॰–2 डॉ. राजेन्द्र मित्तल, पी॰डब्ल्यू॰–3** अर्जुर सिंह, **पी॰डब्ल्यू॰–4** नंदाराम, **पी॰डब्ल्यू॰–5** श्रीराम को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में चोट प्रतिवेदन नन्दाराम **प्रदर्श पी–1,** एक्सरे प्लेट **प्रदर्श पी–3,** नक्शा मौका घटनास्थल **प्रदर्श पी–5,** एक्सरे प्लेट **प्रदर्श पी–6 लगायत प्रदर्श पी–8,** तहरीरी रिपोर्ट **प्रदर्श पी–9,** चाकएफआईआर **प्रदर्श पी–10** को प्रदर्शित करवाया गया। **प्रकरण में फर्दात प्रदर्श पी 2 व प्रदर्श पी 4 सहवन से अंकित करने से रह गया है, जिसे निर्णय में उक्तानुसार ही पढ़ा जावे।**

5. दिनांक 07.04.2026 को अभियुक्तगण हरकरण, भागचंद, हनुमान व बजरंग को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया एवं साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा। दौराने अभियोजन साक्ष्य पुलिस बयान गवाह नंदाराम **प्रदर्श डी–1** को प्रदर्शित करवाया गया।

6. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होने का तर्क देते हुए उन्हें दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का निवेदन है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है। परिवादी प्रथम सूचना रिपोर्ट व चोट प्रतिवेदन की पुष्टि नहीं करता है। गवाहान के कथनों में विरोधाभास है। स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही हुए हैं। आहत के चोटें गिरने पड़ने से आई थी, जिससे अभियोजन की कहानी की पुष्टि नहीं होती है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

8. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

> ***"क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 01.07.2015 को समय करीबन 12:00 बजे स्थान ग्राम रहलाना में सामान्य आशय के अग्रसरण में फसल बुआने ट्रैक्टर लेकर जाते समय परिवादी को एक निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर, उसका सदोष अवरोध कारित कर, परिवादी नंदाराम के साथ कुन्दालय से स्वैच्छया मारपीट कर, उसको सामान्य व गंभीर उपहतियां कारित कर, दण्डनीय अपराध कारित किया?"***
>
> ***यदि हाँ, तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र हैं?***

9. विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन, विश्लेषण व मूल्यांकन किया गया। गवाह **पी॰डब्ल्यू॰—4 नंदाराम** प्रकरण का प्रथम सूचनाकर्ता एवं आहत है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आज से पांच साल पहले दिन के तीन बजे की बात है। वह अपने खेत की मेर पर खड़ा था। वह खेत को ट्रैक्टर से बोने के लिए गया था। तभी भागचंद, बजरंग, भैरू, हरकरण, हजारी कुल छः आदमी एक ही परिवार के आये और उसके साथ गाली—गलौच कर मारपीट की। जमीन के विवाद को लेकर मारपीट की। अपनी जमीन को वह बो रहा था। उन लोगों ने उसके साथ थाप थप्पड़, लकड़ियों व कुल्हाड़ियों से मारपीट की। मारपीट में उसका पैर तोड़ दिया। उसे खेत से दूसरे लोग निकाल कर लाये थे। पहले दूदू अस्पताल में ईलाज करवाया व उसके बाद एसएमएस में ईलाज करवाया। मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जो प्रदर्श पी 9 है, चाकशुदा एफआईआर प्रदर्श पी 10 है जिन पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस मौके पर गई थी। घटनास्थल का नक्शा बनाया था जो प्रदर्श पी 5 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। आई चोटों का उसने डॉक्टरी मुआयना दूदू अस्पताल में करवाया था, जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। आई चोटों का उसने एक्सरा भी

करवाया था। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि झगड़े के समय वह अकेला था। मुल्जिमान उसके भाई के बच्चे हैं। वह मारते ही बेहोश हो गया था। उसे दूसरे गांव वाले अस्पताल दूदू लेकर गये थे। उसके सिर व पैर में चोट आई थी। प्रदर्श पी 9 दर्ज कराते समय वह बेहोश था। रिपोर्ट किसने लिखी व दर्ज कराई, उसे ध्यान नहीं। उसे जयपुर में घटना के दूसरे दिन होश आया था। जयपुर से 8 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया, तब वह दूदू व गांव आया था। प्रदर्श पी 9 व 10 पर उसने अंगूठा लगाया हो तो उसे पता नहीं। वह दूदू सरकारी अस्पताल में चोटों का मेडिकल मुआयना कराने हेतु नहीं गया। प्रदर्श पी 1 के बारे में उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श डी 1 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया। उनका राजीनामा हो चुका है, वह मुकदमा नहीं चलाना चाहता।

10. गवाह **पी॰डब्ल्यू॰–1 बिरदाराम** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह नंदाराम को जानता है। उसने शाम को सुना था कि नंदाराम के साथ हरकरण, हनुमान, बजरंग, भागचंद ने मारपीट की थी। खेत के मामले में मारपीट हुई थी। 12–01 बजे की बात है व आज से 6–7 साल पहले की बात है। नंदा का पैर टूट गया था व शरीर पर चोटें आयी थी। उसने नंदा का टूटा हुआ पैर शाम को देखा था। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि उसने किसी को मारपीट करते हुए नहीं देखा था।

11. गवाह **पी.डब्ल्यू. 2 डॉ. राजेन्द्र मित्तल** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 01.07.2015 को सामुदायक स्वास्थ्य केन्द्र दूदू कनिष्ठ रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत था। उसने उस दिन पुलिस तहरीर पर नन्दाराम पुत्र कृष्णा, उम्र 50 साल, निवासी रहलाना का आपसी झगड़े में आयी चोटों के पश्चात मेडिकल मुआयना किया था। चोट संख्या 1 मजरूब बांयी अग्र भुजा में दर्द बता रहा था परन्तु जाहिरा तौर पर कोई चोट नहीं थी। चोट संख्या 2 में मजरूब के बांयी टांग पर चार सेमी गुणा डेढ़ सेमी गुणा मसल डीप चोट थी जो कि ताजा कारित हुई प्रतीत हो रही थी। चोट संख्या 3 में मजरूब के दांयी टांग पर तीन सेमी गुणा दो सेमी गुणा मसल डीप कुचलानमुमा घाव था, मजरूब को एक्सरे के लिए सलाह दी गई। चोट संख्या 4 में मजरूब के अपरलीप पर सूजन थी। अपरलीप को अंदर की तरफ तीन सेमी गुणा डेढ़ सेमी खरोंचनुमा निशान था जो कि ताजा कारित किया हुआ प्रतीत हो रहा था। मजरूब के दांयी ऊपरी जबड़े पर सेन्ट्रल इंसिजर दांत निकला हुआ था व बांयी ऊपरी मसूड़े में सेन्ट्रल इंसिजर, लेटरल इंसिजर व

केनाइन दांत अनुपस्थित थे। बाकी के दांत सही स्थिति में थे। अनुपस्थित दांतों की जबड़े का परीक्षण करने पर पाया गया कि उसमें खून निकल रहा था। एक्सरे रिपोर्ट में पाया गया कि मजरूब की दांयी ओर की टीबिया एवं फिबुला बांड फ्रेक्चर था। मजरूब के फिजिकल परीक्षण एवं एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर चोट संख्या 03 व 04 गंभीर प्रकृति की है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मजरूब का पहचान चिह्न अंकित है। ई से एफ उसकी राय है। एक्स स्थान पर मजरूब का अंगूठा निशानी है। जिसकी एक्सरा प्लेट प्रदर्श पी 3 है जो किता एक लगायत चार है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि वह डेंटिस नहीं है। चोट संख्या 4 के संबंध में उसकी राय उसके अनुभव के आधार पर है। चोट संख्या 3 में फ्रैक्चर गिरने पड़ने से होने की संभावना नहीं है।

12. गवाह **पी.डब्ल्यू. 3 अर्जुन सिंह** प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जिसके द्वारा अनुसंधान बाबत् साक्ष्य देते हुए दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 बनाना, गवाहों के बयान लेखबद्ध करने, मजरूब नंदाराम की आईआर प्रदर्श पी 1, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 3, प्रदर्श पी 6 लगायत 8 प्राप्त कर शामिल पत्रावली करने, बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने की साक्ष्य दी है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी 10 होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई हो, उनके बीच रेवेन्यू कोर्ट में जमीन के विवाद को लेकर मुकदमा चल रहा हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। उसने लकड़ियां, कुल्हाड़ी, कसी व ट्रैक्टर जप्त नहीं किया। प्रदर्श पी 5 पटवारी की निशादेही से नहीं बनाया था। प्रदर्श पी 5 में खसरा नंबर का अंकन नहीं है।

13. गवाह **पी.डब्ल्यू. 5 श्रीराम** पक्षद्रोही हुआ है। उक्त गवाह ने नंदा के साथ किसने मारपीट की, उसकी जानकारी नहीं होना न ही पुलिस द्वारा उसके सामने नक्शा मौका बनाना बताया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि उसने नंदा के साथ मुल्जिमान द्वारा मारपीट करने की बात नहीं सुनी। नंदा के साथ मारपीट होने की बात गाड़ी पर था, तब सुनी थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि वह ब्यावर, बर गाड़ी चला रहा था, वहां उसने झगड़े की बात सुनी थी। उसके सामने

कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जमीन का बंटवारा हो गया है, अब कोई विवाद नहीं है।

14. इस प्रकार उक्त सभी गवाहान की साक्ष्य का सुक्ष्मता से विवेचन किया जावे तो गवाह पी॰डब्ल्यू॰ 4 नंदाराम ने अभियुक्तगण द्वारा आकर उसके साथ गाली–गलौज व मारपीट करना बताया है। गवाह ने यह भी साक्ष्य दी है कि जमीन के विवाद को लेकर मारपीट की थी। यद्यपि जमीनी विवाद के संबंध में गवाह द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, परंतु अभियुक्तगण की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू. 3 अनुसंधान अधिकारी अर्जुन सिंह को रेवेन्यू कोर्ट में जमीन के विवाद को लेकर मुकदमा चलने के प्रश्न का सुझाव दिया गया है जिससे अभियुक्तगण की यह स्वीकृति है कि पक्षकारान के मध्य जमीन का विवाद लंबित था। गवाह ने स्पष्ट साक्ष्य दी है कि मारपीट में उसका पैर तोड़ दिया। उसके आईं चोटों का उसने दूदू अस्पताल में डॉक्टरी मुआयना प्रदर्श पी 1 कराया था जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है व गवाह चोटों का एक्सरे करवाना भी बताता है। यद्यपि प्रतिपरीक्षण में गवाह यह साक्ष्य देता है कि दूदू में उसका कोई मेडिकल नहीं हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 के बारे में उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी 9 पर उसने अंगूठा लगाया हो तो उसे पता नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि गवाह स्वयं का मेडिकल दूदू अस्पताल में नहीं होना व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 दर्ज नहीं कराना बताता है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि गवाह ने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि उसकी चोटों का डॉक्टरी मुआयना दूदू अस्पताल में कराया था, जो प्रदर्श पी 1 है। गवाह उक्त प्रदर्श पी 1 पर स्वयं की अंगूठा निशानी होना भी बताता है। गवाह ने प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट कथन किया है कि झगड़े में वह बेहोश हो गया था, उसे दूसरे गांव वाले अस्पताल दूदू लेकर गये थे। इस प्रकार गवाह घटना के पश्चात् उसे दूदू अस्पताल ले जाना कथित करता है। गवाह ने सभी प्रदर्शों पर व बयानों पर अंगूठा निशानी की है जिससे दर्शित है कि गवाह पढ़ा–लिखा नहीं है। उक्त गवाह के बयान घटना दिनांक से लगभग 10 साल पश्चात् लेखबद्ध किये गये हैं जिससे गवाह के कथनों में थोड़ा–सा विरोधाभास आना स्वाभाविक है। यद्यपि गवाह प्रतिपरीक्षण में दूदू अस्पताल में मेडिकल मुआयना नहीं होना बताता है, परंतु चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1 पर स्वयं की अंगूठा निशानी होना बताता है। गवाह पी.डब्ल्यू. 2 डॉ. राजेन्द्र मित्तल ने घटना दिनांक को आहत नंदाराम की चोटों का परीक्षण कर चोट

प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1 बनाने जिस पर स्वयं के हस्ताक्षर व मजरूब की अंगूठा निशान होना बताता है। गवाह पी.डब्ल्यू. 2 डॉ. राजेन्द्र मित्तल की साक्ष्य से भी आहत का चोट प्रतिवेदन बनाये जाने की पुष्टि होती है। जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 परिवादी द्वारा दर्ज नहीं कराये जाने का तर्क अधिवक्ता अभियुक्त ने उठाया है, इस संबंध में न्यायालय का मत है कि गवाह पी.डब्ल्यू. 4 नंदाराम ने स्पष्ट साक्ष्य दी है कि मारपीट की रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 उसने दर्ज कराई थी, जिस पर उसका अंगूठा निशानी है। उक्त रिपोर्ट प्रदर्शित कराई गई है, उसी रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। मौखिक साक्ष्य से दस्तावेजी साक्ष्य प्रबल है। उक्त फर्द प्रदर्श पी 1 चोट प्रतिवेदन तथा प्रदर्श पी 9 प्रथम सूचना रिपोर्ट पर गवाह स्वयं की अंगूठा निशानी होना बताता है। अतः उक्त तर्क अधिवक्ता अभियुक्त को सहायता नहीं देता है।

15. गवाह पी.डब्ल्यू. 4 नंदाराम के आई चोटों की पुष्टि गवाह पी.डब्ल्यू. 2 डॉ. राजेन्द्र मित्तल की साक्ष्य एवं चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1 से भी होती है। गवाह पी.डब्ल्यू. 1 बिरदाराम मारपीट करते हुए नहीं देखना बताता है। परंतु अभियुक्तगण द्वारा नंदाराम के साथ मारपीट करने के संबंध में सुनना बताता है। उक्त गवाह अनुश्रुत साक्षी है। गवाह घटना के पश्चात् का संव्यवहार भी बताता है, गवाह ने यह साक्ष्य दी है कि उसने नंदा का टूटा हुआ पैर शाम को देखा था। गवाह पी.डब्ल्यू. 4 नंदाराम मारपीट में स्वयं का पैर तोड़ना बताता है जिसकी सम्पुष्टि गवाह पी.डब्ल्यू. 1 बिरदाराम भी करता है कि उसने शाम को नंदा का टूटा हुआ पैर देखा था। यद्यपि गवाह अनुश्रुत साक्षी है, परंतु उक्त गवाह की साक्ष्य की सम्पुष्टि स्वयं गवाह पी.डब्ल्यू. 4 नंदाराम की साक्ष्य से होती है। गवाह पी.डब्ल्यू. 5 श्रीराम पक्षद्रोही हुआ है, परंतु उक्त गवाह भी झगड़े की बात सुनना बताता है। इस प्रकार उक्त दोनों गवाह अनुश्रुत साक्षी होकर झगड़ा होने के संबंध में सम्पुष्टिकारक साक्ष्य देते हैं।

16. अभियुक्तगण पर धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का भी आरोप है। गवाह पी.डब्ल्यू. 4 नंदाराम मारपीट में स्वयं का पैर तोड़ना बताता है। गवाह पी. डब्ल्यू. 2 डॉ. राजेन्द्र मित्तल मजरूब नंदाराम के दांई टांग पर कुचला हुआ घाव होना बताते हुए एक्सरे की सलाह देना व बाद एक्सरे टीबिया एवं फिबुला बांड का फ्रैक्चर होना बताते हुए उक्त चोट को गंभीर प्रकृति का पाये जाने की साक्ष्य देता है। आहत नंदाराम की उक्त पैर की अस्थिभंग होना चिकित्सकीय साक्षी गवाह पी.

डब्ल्यू. 2 डॉ. राजेन्द्र मित्तल की साक्ष्य एवं चोट प्रतिवेदन व एक्सरे प्लेट से दर्शित है। परंतु गवाह पी.डब्ल्यू. 2 ने यह भी साक्ष्य दी है कि मजरूब के दांयी ऊपरी जबड़े पर सेन्ट्रल इंसिजर दांत निकला हुआ था। बांयी ऊपरी मसूड़े में सेन्ट्रल इंसिजर व केनाइन दांत अनुपस्थित थे। यद्यपि गवाह यह भी स्वीकार करता है कि वह डेंटिस नहीं है, उसने अनुभव के आधार पर राय दी थी। उक्त गवाह की साक्ष्य से आहत के दांत अनुपस्थित थे। परंतु स्वयं गवाह पी.डब्ल्यू. 4 नंदाराम ने ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है कि उक्त मारपीट में उसके दांत टूट गये हो। प्रदर्श पी 9 प्रथम सूचना रिपोर्ट में कार्यवाही पुलिस में भी आहत के दांत टूटने का अंकन नहीं है। अतः अभियुक्तगण द्वारा की गई मारपीट से आहत के दंत विच्छेद हुआ हो, यह स्वयं परिवादी की साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। परंतु आहत के पैर की अस्थि का अस्थिभंग होकर घोर उपहति कारित होना प्रमाणित है। अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि उक्त चोटें गिरने–पड़ने से आई हो, इस संबंध में न्यायालय का मत है कि स्वयं गवाह पी.डब्ल्यू. 2 डॉ. राजेन्द्र मित्तल गिरने पड़ने से फ्रैक्चर होने की संभावना नहीं होना बताता है। स्वयं गवाह पी.डब्ल्यू. 4 नंदाराम स्पष्ट साक्ष्य देता है कि उक्त चोटें अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने से कारित हुई हैं। अतः उक्त तर्क भी अधिवक्ता अभियुक्त को सहायता नहीं देते हैं। गवाहों की साक्ष्य से अभियुक्तगण का आपराधिक आशय के अग्रसरण में सक्रिय योगदान किया जाना दर्शित है।

17. अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही हुए हैं। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि यद्यपि स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही हुए हैं, परंतु गवाह पी.डब्ल्यू. 4 नंदाराम स्वयं के चोटें कारित करना व उक्त चोटों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्षी से होने से अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क भी अभियुक्तगण को सहायता नहीं देता है। अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि गवाहान के कथनों में विरोधाभास है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि गवाहान के कथनों में विरोधाभास है, परंतु उक्त विरोधाभास इस श्रेणी का नहीं है कि पूरी अभियोजन कहानी को ही अविश्वसनीय कर दे।

18. अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को रोककर उसके साथ स्वैच्छया मारपीट कर उपहति व घोर उपहति कारित करने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण **हरकरण, भागचन्द, बजरंग व हनुमान** को आरोपित

अपराध अन्तर्गत धारा **341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

19. परिणामतः अभियुक्तगण 1. **हरकरण पुत्र श्री बालूराम,** उम्र 62 साल, 2. **भागचन्द पुत्र श्री भैरू,** उम्र 30 साल, 3. **बजरंग पुत्र श्री हीरा,** उम्र 56 साल, 4. **हनुमान पुत्र श्री हरजीराम,** उम्र 55 साल, समस्त निवासी रहलाना, थाना दूदू, जिला जयपुर, राजस्थान को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता** में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

(प्रीति चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दूदू, जिला जयपुर

20. अभियुक्तगण की धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्धि पर सजा के बिन्दु पर सुना गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पूर्व में किसी प्रकरण में दोषसिद्धि नहीं है एवं लंबे समय से अन्वीक्षा का सामना कर रहे हैं। पक्षकारान आपस में रिश्तेदार हैं, स्वयं परिवादी राजीनामा होना स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा विरोध किया गया एवं कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया।

21. सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में कोई दोषसिद्धि के संबंध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, इस संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं। पक्षकारान् रिश्तेदार हैं। यद्यपि प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ है, परंतु परिवादी स्वयं राजीनामा होना बयान में स्वीकार करता है। ऐसे में यदि अभियुक्तगण को दोषसिद्धी पर दण्ड से दण्डित किया जाता है तो आपस में वैमनस्य बढेगा। अभियुक्तगण वर्ष 2015 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

22. अतः अभियुक्तगण 1. **हरकरण पुत्र श्री बालूराम,** उम्र 62 साल, 2. **भागचन्द पुत्र श्री भैरू,** उम्र 30 साल, 3. **बजरंग पुत्र श्री हीरा,** उम्र 56 साल, 4. **हनुमान पुत्र श्री**

हरजीराम, उम्र 55 साल, समस्त निवासी रहलाना, थाना दूदू, जिला जयपुर, राजस्थान को अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने पर तुरन्त कारावास से दंडित नहीं कर उन्हें **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 04** का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त यदि **10,000/—रूपये** (अक्षरे दस हजार रूपये) की राशि का स्वयं का बंध—पत्र एवं इसी राशि की जमानत एक साल की अवधि के लिए प्रस्तुत कर अभिप्रमाणित करावे कि वे उक्त अवधि में परिशांति व सद्व्यवहार बनाए रखेंगे, न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर स्वयं के खर्च पर न्यायालय में उपस्थित हो जावेंगे एवं अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो अभियुक्तगण को कारावास से दंडित नहीं किया जाकर परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है। **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 05** के तहत् प्रत्येक अभियुक्त पर **2000/—रूपये,** (अक्षरे दो हजार रूपये) **कुल 8,000/—रूपये** (अक्षरे आठ हजार रूपये) अधिरोपित किये जाते हैं, जो जमा होने पर बतौर क्षतिपूर्ति आहत नंदाराम को **8,000/—रूपये,** (अक्षरे आठ हजार रूपये) बाद गुजरने मियाद अपील/रिविजन नियमानुसार दिलवाई जावे। **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12** के अधीन यह भी आदेश दिया जाता है कि इस दोषसिद्धि के कारण उक्त अभियुक्तगण दोषसिद्धि की किसी निर्हरता से ग्रस्त नहीं होंगे। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

23. प्रकरण में कोई माल जप्त नहीं है।

(प्रीति चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दूदू, जिला जयपुर

24. निर्णय आज दिनांक 13 अप्रैल, 2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रीति चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दूदू, जिला जयपुर

—0—